


8. आस्तियों और दायित्वों के रूप में ब्यारे						
विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
क. जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ 10,50,000	₹ 4,30,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
ख. स्थावर आस्ति						
I. स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹ 1,50,000	- शून्य -	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹ 10,00,000	- शून्य -	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
III. (क) स्वाजित आस्तियों (कुल वर्तमान बाजार मूल्य)	₹ 20,00,000	- शून्य -	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹ 29,00,000	₹ 11,00,000				
9. दायित्व						
(i) सरकारी देय (कुल)	शून्य	शून्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुलमूल्य 3.17 नं 4
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹ 2,08,000	शून्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
10. दायित्व जो विवादग्रस्त हैं						
(i) सरकार के देय (कुल)	शून्य	शून्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	



- (9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :
 क. स्वयं प्रशासित कृषि आगम
 ख. पति/पत्नी कृषि आगम
- (10) वृत्तीय उप जीविका के ब्यौरे :-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)


एम०ए० (राजनीति विज्ञान) कागपुर विश्वविद्यालय कागपुर वर्ष 1982
 (सलगन 5)

भाग-ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरे का सार

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ- लवकुश कुमार मिश्र
2.	डाक का पूरा पता	गामो व पोस्ट बमथरा फतेहपुर 2050
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	238 जहनाबाद (50 प्र०)
4.	राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा निर्दलीय- लिखें)	निर्दलीय
5.	(i) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरहित किए गए हैं।	- शून्य -
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (ऊपर नद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	- लागू नहीं -
6.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय	- शून्य -
7.	का स्थायी खाता संख्या (पीएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है
	क) अभ्यर्थी लवकुश कुमार मिश्र	2013-14
	ख) पति/पत्नी सुधा देवी	330460
	ग) आश्रित अ.र.र.र.	शंभुमते

संलग्नक(1)



1.17

(6) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों ब्यारे नीचे देता हूँ :-


(टिपणी : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यारे दें)

क्र. सं०	विवरण	स्वर्य	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्ति संस्था का नाम, बकाया रकम, ₹ 20,00,000 ऋण का प्रकार	SBI जमानाबद 20 मि लोन	श-म	श-म	श-म	श-म
	ऊपर उल्लिखित से गिन किसी अन्य व्यष्टि/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	कोई अन्य दायित्व	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	दायित्वों का कुल योग ₹ 20,00,000	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
(ii)	सरकार के देय : सरकारी आवास सुविधा से सम्बंधित विभाग को देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	जल प्रदाय से सम्बंधित विभाग को देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	विद्युत प्रदाय से सम्बंधित विभाग को देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	टेलीफोन/मोबाइल की पूर्ति से सम्बंधित विभागों को देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	सरकारी परिवहन से सम्बंधित विभाग को देय (वायुयान और हेलिकाप्टरों सहित)	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	आयकर देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	सम्पत्तिकर देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	सेवाकर देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	नगरपालिका/संपत्ति कर देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	विक्रीकर देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
	कोई अन्य देय	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
(iii)	सरकारी समी देयों का कुल योग	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवाद ग्रस्त है यदि है तो अंतर्लिखित रुकम और उस प्राधिकारी का पता लिखें जिनके समक्ष यह लिखा है।	श-म	श-म	श-म	श-म	श-म



(Handwritten signature)

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	श-य	श-य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	श-य	श-य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्यांक	प्लान नं० 491 भवन नं० निहाल क्रयपुर 30999	श-य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	2980 वर्ग फीट	श-य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	1400 वर्ग फीट	श-य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	11.09.2001	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹ 150,000	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	₹ 10,00,000	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	₹ 90,00,000	लागू नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(v)	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	श-य	श-य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vi)	रूपर (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	₹ 1,12,00,000	₹ 11,00,000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



ख स्थायर आस्तियों के ब्यारे (Details of Immovable Assets)

टिप्पणी:-

- संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना
- इस रूप विधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्याक	ग्राम-बकोट शुद्धभाग कलकटपुर 549,60	ग्राम-बकोट ग्राम-बकोट कलकटपुर 712	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	4 एकड़ क्षेत्रभाग	2 एकड़ क्षेत्रभाग	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	हां	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य ₹ 22,00,000	₹ 11,00,000	₹ 11,00,000	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
(ii)	नैर-कृषि भूमि : स्थान सर्वेक्षण संख्याक	शुद्ध	शुद्ध	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शुद्ध	शुद्ध	कृषि नहीं	कृषि नहीं	कृषि नहीं



(Handwritten signature)

क्र.सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	₹ 50,000	₹ 20,000	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यारे (एफडी0आर0, आवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम।	S.B.I जहानाबाद फुलपुर 309 A/c No 10724617735 कुल जमा ₹ 4,56,981	S.B.I जहानाबाद फुलपुर 309 A/c No 30208985281 कुल जमा ₹ 28,000	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचर्स/शेयर्स और कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यारे और रकम	शून्य	शून्य	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(iv)	एन0एस0एस0, डाकीय बचत, बीमा पालतियों में विनिधान के ब्यारे और, डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखित में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	शून्य	शून्य	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्योरा खरोफ के वर्ष और रकम) ₹, 4,50,000	प्रविक्रम कार UP71J 7070 10/2009	शून्य	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(vii)	आमूषण, सुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यारे)	50 ग्राम सोना 100 ग्राम चांदी	250 ग्राम सोना 500 ग्राम चांदी	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दाघे का मूल्य/ब्याज	शून्य	शून्य	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	₹ 10,50,000	₹ 4,30,000	रुक नहीं	रुक नहीं	रुक नहीं



(Handwritten signature)

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए एक वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है : दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
यदि अनिसाक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धोप ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा : लागू नहीं

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धोप और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। :

(क)	सम्बन्धित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का धारा और अपराधों वर्णन जिनके लिए सिद्धोप किया गया	<u>लागू नहीं</u>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या, और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) -	<u>लागू नहीं</u>
(ग)	अधिराजित दंड	<u>लागू नहीं</u>
(घ)	क्या सिद्धोप आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील का ब्यौरा और वर्तमान प्रस्थिति :	<u>लागू नहीं</u>

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थायी और अस्थायी आदि) का ब्यौरा यहाँ नीचे देता हूँ :


क. जंगम सम्पत्तियों का ब्यौरा (Details of movable assets):

टिप्पणी--

1. संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उप दर्शित किया जाना है
2. निक्षेप/विनिधान की दिशा में, क्रम सं०, रकम, निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम संख्या, रकम, निक्षेप की तारीख, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यौरा दिया जाना है।
3. वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध-कंपनियों के बायत स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।
4. आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण

(V) में उसका है।

3. प्रत्येक विनिधान की बायत सहित रकम ब्यौरे पृथक रूप से दिया जाना है।



में ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं है, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किया गया है/ किन्तु नहीं है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी):

— लागू नहीं —


(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरहित किए हैं, निम्नलिखित हैं :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसमें आरोप विरहित किये हैं।	लागू नहीं
(ङ)	तारीख जिसपर आरोप विरहित किये गये।	लागू नहीं
(च)	क्या सती या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उपर मद् (i) में लिखित मामलों के अलावा :-

लागू नहीं

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	लागू नहीं
(ख)	मामलों को ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया :	लागू नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के ब्यौरे	लागू नहीं



[Handwritten signature]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

"इलाहाबाद-झौंसी" खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन-2017



झौंसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद
लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत
किया जाने वाला शपथपत्र



भाग - अ

मैं राजेंद्र मिश्रा पुत्र/पुत्री/भस्ती स्व सेताराम मिश्रा आयु 66 वर्ष,
जो राजेंद्र मिश्रा का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सच्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा
करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय (संजमैतिक बल का नाम)
झास-खड़ा किया गया/निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव में लड़ रहा हूँ।
(* जो लागू न हो उसे काट दे)
- मेरा नाम (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) 238 जहाल्लाबाद (समस्त) उत्तर प्रदेश में
क्रम सं. 69 पर, भाग सं. 167 में प्रविष्ट है।
- मेरा/मेरे 9415032815 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्या है/हैं
और - ई-मेल पता (यदि कोई हो) है।
- स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रथिति के ब्यारे और आय कर विवरणी
फाइल करने की प्रस्थिति :

क्रम सं.	नाम	पी0ए0एन0(स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रूप में)
1. स्वयं	राजेंद्र मिश्रा	ATYPM12716	2013-14	₹ 330,460-00
2. पति या पत्नी	पुष्पा देवी	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
3. आश्रित-1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. आश्रित-2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. आश्रित-3	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं



कार्यालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या- १४४ / 25-जे०ए०-11 (2016-17)

दिनांक : जनवरी 16, 2017

जिला सूचना अधिकारी,
झांसी।

विषय- इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2017 इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिभाग हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 16-01-2017 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	सैट की संख्या
1	श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	01
2	श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी (पूर्व विधान परिषद सदस्य)	03
3	श्री लवकुश कुमार मिश्र (पूर्व विधान परिषद सदस्य)	04
4	श्री अशोक कुमार राठौर	03
5	श्री लाल बिहारी यादव	02

2- नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र, जिसमें उनकी सम्पत्ति एवं आपराधिक इतिहास प्ररूप-26 पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक प्रति में आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त विवरण को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)
सहायक रिटर्निंग आफीसर,
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र /
अपर आयुक्त (प्रशासन),
झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या- १४१ / 25-जे०ए०-11 (2016-17)

तददिनांक।

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, झांसी/नोडल आफीसर को आज प्राप्त नामांकन पत्रों के प्ररूप-26 तथा अतिरिक्त शपथ पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही है कि उक्त शपथ पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ की वेबसाइट पर स्कैन कराकर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)
सहायक रिटर्निंग आफीसर,
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र /
अपर आयुक्त (प्रशासन),
झांसी मण्डल, झांसी।

11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: एम. ए. (राजनीति विज्ञान) कामपुर विश्वविद्यालय, कामपुर 1982 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, के ब्योरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)
----	---

1982

सालगत (5)

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषिता करता हूँ कि इस शपथपत्र की अर्न्तवस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि:-

(क) पूर्वोक्त भाग 'अ' की मद 5 और मद 6 और भाग 'आ' में उल्लिखित से भिन्न किसी मामले में मैं दौषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है :

(ख) पूर्वोक्त भाग 'अ' की मद 7 और मद 8 तथा भाग 'आ' की मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से भिन्न मेरी, मेरे पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी सम्पत्ति या दायित्व नहीं है।

..... स्थान पर आज तारीख 11.5.17 को सत्यापित किया गया।

[Signature]

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- 1. शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सांय 3.00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र में, शपथ आयुक्त के समक्षया प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभ भरे जाने चाहिए और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है, तो, यथा स्थिति, या तो "कुछ नहीं" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या सुपाद्यया और स्पष्टता लिखित होना चाहिए।



Certified that the foregoing Statement sworn before me by Shri. *[Signature]* of whom the contents of the affidavit have been read over and evaluated and who is

Recd As per as per and dependent

RAJENDRA NIGAM